न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : ~~25~~ 52 सन ~~2015~~ 2020

अनवान :–

1. रूधवीर पुत्र अमीलाल जाति छिम्पा निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. अमीलाल पुत्र मनसुख जाति छिम्पा निवासी सोनडी तहसील नोहर हाल नाथुसरी चौपटा तहसील व जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता सायल
श्री संजय कुमार अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 15/4/21

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायला व दावा दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 , 3 का गैरसायल न0 1 के साथ पिता पुत्र का सम्बध है तथा सयुक्त हिन्दु खानदान सायल व गैरसायल के सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी कृषि भूमि व सयुक्त हिन्दु खानदान की आय से प्राप्त कृषि भूमि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 550/531 के खसरा न0 158/2.9340हैक खसरा न0 160/2 की 3.5610हैक खसरा न0 160/3 की 2.1050हैक खसरा न0 510 की 3.3510हैक कुल 11.9510हैक जिसमें अमीलाल गैरसायल न0 1 का 1312/11951हिस्सा , रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 24/17 की कुल 5.1090हैक जिसमें अमीलाल गैरसायल न0 1 का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 394/392 की कुल 13.9490हैक में से 1771/27898 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 23/20 की कुल 1.5300हैक व खाता संख्या 451/440 की कुल 2.4410हैक में से 10527/24410हिस्सा जो सयुक्त खानदान की जददी जायदाद है जो गैरसायल न0 1 ने घर के कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के अपने नाम दर्ज करायी है जिसमें सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 , 3 का जन्म से हक हिस्सा है।

सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 व गैरसायल न0 1 सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है उक्त भूमि सयुक्त तौर से काश्त करते आ रहे है तथा पुरा परिवार कृषि भूमि पर ही निर्भर है गैरसायल न0 1 का मानसिक सन्तुलन सही नही है भूमाफिया बहला फुसलाकर स्टाम्पों पर अगुठा लगवा लेते है और भूमि खूर्द बुर्द करने की ताक में है यदि भूमि खूर्द बूर्द हो जाती है तो सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे तथा सायल के कब्जा काश्त में दखल नही करे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

वाद भूमि सायल की जददी जायदाद एवं सयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीदी हुई सम्पति नही है जिसमें सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 1 सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का पिता होना स्वीकार है किन्तु वाद भूमि गैरसायल स्वय की खरीद की गई भूमि है जिसमें गैरसायल न0 1 के जीवन काल में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल स्वय भूमि काश्त करता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि अपने भाईयों के साथ स्वय की खरीद की गई भूमि है जो कि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी की भूमि नही है ना की उसके पुत्रों का गैरसायल न0 1 के द्वारा खरीद की गई भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायल का प्रार्थना पत्र खरीज फरमाया जावे। जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला व दावा दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 , 3 का गैरसायल न0 1 के साथ पिता पुत्र का सम्बध है तथा सयुक्त हिन्दु खानदान सायल व गैरसायल के सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी कृषि भूमि व सयुक्त हिन्दु खानदान की आय से प्राप्त कृषि भूमि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 550/531 के खसरा न0 158/2.9340हैक खसरा न0 160/2 की 3.5610हैक खसरा न0 160/3 की 2.1050हैक खसरा न0 510 की 3.3510हैक कुल 11.9510हैक जिसमें अमीलाल गैरसायल न0 1 का 1312/11951हिस्सा , रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 24/17 की कुल 5.1090हैक जिसमें अमीलाल गैरसायल न0 1 का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 394/392 की कुल 13.9490हैक में से 1771/27898 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 23/20 की कुल 1.5300हैक व खाता संख्या 451/440 की कुल 2.4410हैक में से 10527/24410हिस्सा जो सयुक्त खानदान की जददी जायदाद है जो गैरसायल न0 1 ने घर के कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के अपने नाम दर्ज करायी है जिसमें सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 , 3 का जन्म से हक हिस्सा है।

सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 व गैरसायल न0 1 सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है उक्त भूमि सयुक्त तौर से काश्त करते आ रहे है तथा पुरा परिवार कृषि भूमि पर ही निर्भर है गैरसायल न0 1 का मानसिक सन्तुलन सही नही है भूमाफिया बहला फुसलाकर स्टाम्पों पर अगुठा लगवा लेते है और भूमि खूर्द बुर्द करने की ताक में है यदि भूमि खूर्द बूर्द हो जाती है तो सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे तथा सायल के कब्जा काश्त में दखल नही करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सायल की जददी जायदाद एवं सयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीदी हुई सम्पति नही है जिसमें सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 1 सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का पिता होना स्वीकार है किन्तु वाद भूमि गैरसायल स्वय की खरीद की गई भूमि है जिसमें गैरसायल न0 1 के जीवन काल में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल स्वय भूमि काश्त करता है।

वाद भूमि अपने भाईयों के साथ स्वय की खरीद की गई भूमि है जो कि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी की भूमि नही है ना की उसके पुत्रों का गैरसायल न0 1 के द्वारा खरीद की गई भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायल का प्रार्थना पत्र खरीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि पैतृक भूमि या सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि है या नही एवं सायल का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से साबित है एवं गैरसायल न0 1 के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार वाद भूमि गैरसायल न0 1 के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की हुई है गैरसायल न0 1 के बेयनामा के आधार पर ही गैरसायल राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में ना होकर गेरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि पैतृक है जिसमें उनका हक हिस्सा है इसलिये गैरसायल को पाबन्द करवाना चाहते है सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रतीत हो सके की वाद भूमि पैतृक है या पैतृक सम्पति की आय से अर्जित भूमि हो मात्र कथनों के आधार पर वाद भूमि पैतृक होना नही माना जा सकता है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल न0 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि के बेयनामो/नामान्तकरण की प्रतिया प्रस्तुत किये है जिसके अनुसार वाद भूमि गैरसायल द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है बैयनामा के आधार पर ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात गैरसायल न0 1 की स्वअर्जित भूमि है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बैयनामों के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को मात्र कथनों के आधार पर पाबन्द नही किया जा सकता है सायल के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबुत पेश नही किया की जिससे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो बिना किसी आधार के रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द करने से अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होती है ना की सायल जो वर्तमान में किसी प्रकार टिनेन्ट नही है एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी गैरसायल के पक्ष में है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 03.07.2020 को वाद भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)